

**भारत सरकार के पत्रांक-11/1082/क्लोज प्रथम स्टेज/ यू0पी0/2013/
567 दिनांक 06-11-2017 के अनुपालन में अतिरिक्त सूचना**

अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी हैदरगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण /कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 02-09-2022 को वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जिसके विरुद्ध रेंज केस संख्या- 04/2022-23 दिनांक 02-09-2022 इजरा किया गया है तथा पत्रांक- 32/22-1 दिनांक 07-09-2022 नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया (छायाप्रति संलग्न है)। उप प्रभागीय वनाधिकारी रामसनेहीघाट द्वारा उक्त प्रकरण में जाँच की गयी उनके द्वारा पत्रांक- 83/22-1 दिनांक 05-09-2022 से अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रकरण के आवागमन में प्रभावित 0.221392 हे० संरक्षित वन भूमि पर इन्टर लॉकिंग टाइल्स का निर्माण किया गया (छायाप्रति संलग्न है)। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वयान देकर अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों की जानकारी न होने के कारण के अज्ञानवस कार्य किया गया। विभाग, भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा जो भी दण्डात्मक धनराशि निर्धारित होगी उसे देने हेतु बचनबद्ध है (छायाप्रति संलग्न है)।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आन लाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/151696/2022 प्रक्रियाधीन में है।

प्रकरण में भारत सरकार की गाइड लाइन F.NO. 11-42-2017/ FC Date 29-01-2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत याचक विभाग से नियमानुसार दण्ड स्वरूप प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन के लिए शासनादेश संख्या F.NO. 11-42-2017/ FC Date 29-01-2018 के क्रम में दण्ड का आकलन निम्नवत है:-

उल्लंघन वर्ष 2022

उल्लंघन करने का क्षेत्रफल-	=	0.221392 हे०
एन०पी०वी०	=	0.221392x957780
	=	212044.83 रू०
वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के उल्लंघन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या के पैरा B (i) के अनुसार 12 प्रतिशत सरल इन्ट्रस्ट की धनराशि-	=	$\frac{212044.83 \times 12}{100}$
	=	25445.38
कुल दण्डात्मक एन०पी०वी०-	=	212044.83 + 25445.38
	=	237490.21
देय दण्डात्मक एन०पी०वी०	=	237490.00 रू०

प्रभागीय निदेशक
सा०या० वन प्रभाग
बाराबंकी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
राम सनेहीघाट
बाराबंकी वन प्रभाग

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हैदरगढ़, रेंज

8798

264

दिनांक. २/१/२०२२

રંજા.....૨૬/૧૧/૨૦૨૦

रंज कोरा नं० ०५/२०२२-२३

मेसर्स टोरेट जेव प्राइवेट लिमिटेड

प्रतिनिधि श्री आशित मीरास्वय, A.UM
इंस्ट्र. गैस प्रा० लि० ब्राह्मणकी

श्री रामविलास सिंह (स्वयं)

श्री राम मिलन धर्म सदाशु प्रसाद दि० २५ अ - साबरी

[illegible]

मृआवजा

एवं रखने का स्थान

अती उपरोक्त अतिशुद्ध द्वारा आयोपयुक्त अपेक्षा
उत्तराग्न है जो कि दंडनीय अपराध है।
जिला नं० २ ग्रेट जूरी का प्रथम पुनर्जा रिपोर्ट नं० १२५७
का विवाह हेतु सेवा में प्रेषित है।

कैसे जारी करने वाले के हस्ताक्षर
पद नाम राय विद्यावर्द्धक
माली

प्रारम्भिक सूचना प्रेषित/अंतिम सूचना बाद में भेजी जायेगी :-

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज हैदराबाद

श्री हीरालाल अवधी (उपनिषद् अधिकारी) को इस आशय के उचित विवरणों के
का आदेश जारी आया है कि उचित है।

प्रतिनिधि वा. ला. व. क. र.

महफुज

उक्त व्य - 2 के स मा व 2 के
कारिणी देण देवि।

राम रत्नेही घाट

रेंज अधिकारी

प्रभागीय केस नं० १००/२०२२-२३

वनराजि अधिकारी.

कृपया अन्तिम रिपोर्ट भेजे/कीमत+मुआवजा वसूल करके सूचित करें।

पुलिस सहायता लेकर अग्रिम कार्यवाही करें।

अन्तिम दोन रेजॉन ध्वनि विवरण
संदर्भ सीट पर प्रस्तुत कर।

प्रभागीय निदेशक,
सा०वा० वन प्रभाग,
बाराबंकी।

સેવાઈ પંચિંગ
બાકાં

[illegible]

में कम्पाउण्ड किया जाता है / ड्राप किया जाता है।
बरामद लकड़ी की नीलाम करने की अनुमति दी जाती है।
नाजायज जोत की जमीन खाली करवा ली गई है।

प्र. नि. १/२/१९७१

सहज, शोकांशु एवं

प्रमाणित निदेशक
सा०वा० वन प्रभाग
दारासंकी

उप. प्रभागीय वसाधिकारी
राम सनेहीघाट
बाराबंकी वन प्रभाग

प्रभागीय निदेशक प्रभाग
सा०वा० वन प्रभाग
बाराबंकी ।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, हैदरगढ़ रेंज, बाराबंकी
पत्रांक 32/22-// हैदरगढ़, दिनांक 07/09/ 2022

नोटिस

नोटिस अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 एवं भारतीय
वन अधिनियम-1927 के तहत हैदरगढ़ रेंज।



बनाम:- मेसर्स टोटे-टो गैल प्लांटिंग प्रा. लि.
निवासी:- आशुतोष श्रीवास्तव (जनरल मैनेजर)
थाना:- मेसर्स टोटे-टो गैल प्लांटिंग पुत्र:-
पोस्ट:- जिला:- लखनऊ

आपको जरिये नोटिस सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ रेंज केस संख्या-04/2022-23 इजरा किया गया है। जिसके अन्तर्गत आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में रेंज कार्यालय हैदरगढ़ में उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जिससे उक्त केस में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

सूचना प्राप्त कि
07/09/22

प्रभागीय निदेशक
साठवां वन प्रभाग
बाराबंकी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हैदरगढ़ रेंज